

## डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारी:- पूजा मीना आर.ए.एस  
उनवान

1. मुनेष पुत्र लखन
2. रामावतार पुत्र लखन
3. रवि पुत्र लखन
4. पिन्दू पुत्र लखन
5. संतोष पुत्र लखन
6. भजनी पत्नि लखन  
जाति मीना निवासी नांगलशेरपुर तहसील टोडाभीम।

(वादीगण)

बनाम

1. केसन्ती पत्नि रधुवीरसिंह मीना
2. किशनप्यारी पत्नि जगपाल मीना
3. रामरूप पुत्र रतन
4. रधुवीर पुत्र रतन
5. यशपाल पुत्र रतन
6. जगपाल पुत्र रतन
7. रामदयाल पुत्र रतन
8. मेधराम पुत्र रतन
9. राजाराम पुत्र रतन  
जातियान मीना निवासी नांगलशेरपुर तहसील टोडाभीम।
10. तहसीलदार टोडाभीम।
11. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नांगल शेरपुर तहसील टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत घोषणा खातेदारी, बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0:- 178/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामअवतार शर्मा एडवोकेट व ...  
..... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि ग्राम पहाडी  
की आराजीयात मे निम्न प्रकार डिकी दी जाती है कि

क्र0स	खाता न0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	58	भजनी पत्नि लखन हिस्सा 1/6 बिला रहन,	1170/1	0.05
		मुनेश पुत्र लखन हिस्सा 1/6 बिला रहन,	1171/1	0.07
		रामावतार पुत्र लखन हिस्सा 1/6 राहिन बी.	1172/1	0.08
		आर.के.जी.बी. नांगल शेरपुर, पिन्दू पुत्र लखन	1173/1	0.10
		हिस्सा 1/6 राहिन बी.आर.के.जी.बी. नांगल	1157/5215/1	0.19
		शेरपुर, संतोष पुत्र लखन हिस्सा 1/6 राहिन	1175	0.07
		बी.आर.के.जी.बी. नांगल शेरपुर, रवि पुत्र लखन	1176	0.28
		हिस्सा 1/6 राहिन बी.आर.के.जी.बी. नांगल	1218/5217	0.025
		शेरपुर, समस्त सा.देह नांगलशेरपुर	कुल किता 8	0.8650
		2		केशन्ती देवी पत्नि रधुवीरसिंह हि0 1/2,
किशनप्यारी पत्नि जगपाल हि0 1/2 राहिन बी.	1169			0.07
आर.के.जी.बी. नांगलशेरपुर जाति मीना सा.देह	1170/2			0.05
नांगलशेरपुर	1171/2			0.06

(*Signature*)  
सहायक कलक्टर


			1172/2	0.07
			1173/2	0.10
			1157/5215/2	0.41
			1218/5217	0.045
			कुल किता 8	0.8650 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक-दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... अदा करे।

बसब्ल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 08.10.2024 को जारी की गई।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					



(पूजा मीना)  
उपरसमूह अधिकारी एवं फदेन सहायक कलक्टर  
दोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी:- पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. मुनेष पुत्र लखन
  2. रामावतार पुत्र लखन
  3. रवि पुत्र लखन
  4. पिन्दू पुत्र लखन
  5. संतोष पुत्र लखन
  6. भजनी पत्नि लखन
- जाति मीना निवासी नांगलशेरपुर तहसील टोडाभीम।

(वादीगण)

बनाम

1. केसन्ती पत्नि रधुवीरसिंह मीना
  2. किशनप्यारी पत्नि जगपाल मीना
  3. रामरूप पुत्र रतन
  4. रधुवीर पुत्र रतन
  5. यशपाल पुत्र रतन
  6. जगपाल पुत्र रतन
  7. रामदयाल पुत्र रतन
  8. मेधराम पुत्र रतन
  9. राजाराम पुत्र रतन
- जातियान मीना निवासी नांगलशेरपुर तहसील टोडाभीम।
10. तहसीलदार टोडाभीम।
  11. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नांगल शेरपुर तहसील टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत घोषणा खातेदारी, बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा  
उपस्थिति:- श्री रामअवतार शर्मा एडवोकेट वादीगण

निर्णय

दिनांक 08.10.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पहाडी की आराजी ख०न० 1157/5215/0.60, 1168/0.06, 1169/0.07, 1170/0.10, 1171/0.13, 1172/0.15, 1173/0.20, 1175/0.07, 1176/0.28, 1218/5217/0.07 कुल कित्ता 10 कुल रकवा 1.73 है० मे वादीगण बहिस्सा 1/2 के खातेदार तथा प्रतिवादी न० 1 बहिस्सा 1/4 प्रतिवादी न० 2 बहिस्सा 1/4 की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है प्रतिवादी न० 3 ता 9 का विवादग्रस्त आराजीयात से कोई संबध किसी प्रकार का नही है। वर्णित आराजीयात वादीगण को विरासत मे प्राप्त हुई है। इससे पूर्व आराजी वादीगण के पिता लखन व ताउ रामराज के नाम रही है वादीगण के ताउ रामचरण द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवादी न० 1 व 2 को कर दिया था शेष हिस्सा 1/2 वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी है। जिस पर प्रतिवादी न० 3 ता 9 बिना अधिकार के सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करना चाहते है।

बाका दिनांक 28.09.2022 का है कि, वादीगण अपने हिस्से की आराजी पर जोत लगवा रहे थे कि प्रतिवादी न० 3 ता 9 आये तथा कहने लगे कि तुम इस आराजी पर जोत मत लगवाओ अब की बार मे उक्त आराजी को हम काश्त करेगे इस पर वादीगण द्वारा यह कहने पर कि हम अपने हिस्सेनुसार काबिज है तथा तुम्हारा इस जमीन पर कोई वास्ता नही है तथा किसी को आपत्ति है तो तहसील मे चलकर बटवारा करा लेगी तो प्रतिवादी न० 3 ता 9 नाराज हो गये और कहने लगे कि तुम्हारी सम्पूर्ण आराजी

रीद ली है इसलिये हम तो तुम्हारी आराजी को काशत करेगे इस प्रकार प्रतिवादीगण अपनी इस कचेष्टा कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री पारित फरमाई जावे कि ग्राम पहाडी स्थित राजी ख0न0 1157/5215/0.60, 1168/0.06, 1169/0.07, 1170/0.10, 1171/0.13, 1172/0.15, 73/0.20, 1175/0.07, 1176/0.28, 1218/5217/0.07 कुल किता 10 कुल रकवा 1.73 है0 मे दीगण की खातेदारी व कब्जे के अनुसार प्रत्येक वादीगण की अलग-अलग खातेदारी के लिये बटवारा हीम तलब फरमाई जावे बाद जॉच रिपोर्ट फाईनल डिक्री पारित की जावे। एवं प्रतिवादीगण वादी के रसे व कब्जे काशत की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे वादी को बेदखल नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी न0 10 रोकार सरकार उपस्थित, शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरुद्ध कपक्षीय कार्यवाही की गई। दावा बाद सुनवाई दिनांक 14.08.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वादीगण वकील ने अवलोकन कर अपनी हस मे कथन किया कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा मुताबिक रिकार्ड व कब्जेकाशत अनुसार बटवारा स्कीम श की है अतः मुताबिक बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे।

वादी वकील की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो, व बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। तथा वादीगण वकील ने भी अपनी बहस मे भी कथन किया है कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे। अतः वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम पहाडी मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

क्र0स	खाता न0	नाम खातेदार काशतकार	ख0न0	रकवा
1	58	भजनी पत्नि लखन हिस्सा 1/6 बिला रहन, मुनेश पुत्र लखन हिस्सा 1/6 बिला रहन, रामावतार पुत्र लखन हिस्सा 1/6 राहिन बी.आर.के.जी.बी. नागल शेरपुर, पिन्दू पुत्र लखन हिस्सा 1/6 राहिन बी. आर.के.जी.बी. नागल शेरपुर, संतोष पुत्र लखन हिस्सा 1/6 राहिन बी.आर.के.जी.बी. नागल शेरपुर, रवि पुत्र लखन हिस्सा 1/6 राहिन बी.आर.के.जी.बी. नागल शेरपुर, समस्त सा.देह नागलशेरपुर	1170/1 1171/1 1172/1 1173/1 1157/5215/1 1175 1176 1218/5217 कुल किता 8	0.05 0.07 0.08 0.10 0.19 0.07 0.28 0.025 0.8650 है0
2		केशन्ती देवी पत्नि रघुवीरसिंह हि0 1/2, किशनप्यारी पत्नि जगपाल हि0 1/2 राहिन बी. आर.के.जी.बी. नांगलशेरपुर जाति मीना सा.देह नांगलशेरपुर	1168 1169 1170/2 1171/2 1172/2 1173/2 1157/5215/2 1218/5217 कुल किता 8	0.06 0.07 0.05 0.06 0.07 0.10 0.41 0.045 0.8650 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक-दूसरे के कब्जे काशत मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।